न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/66

मोहनलाल पुत्र मथुरालाल जाति कुमावत निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
–अपीलांट

बनाम

1. सुनीता पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जाति किराड
2. अंशुल पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति किराड
3. देवांशी पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जाति किराड
   निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री रूपेश श्रंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 12.09.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 11/2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स० नई 2 के खसरा न0 551 की 0.01 हेक्टर व खसरा न0 552 की 3.43 हेक्टर कुल 2 किता की कुल 3.44 हेक्टर आराजी स्थित है, जिसे प्रार्थीगण बहैसियत काश्तकार शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी के लगवा अप्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कुराडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स० नई 204 के खसरा न० 504/1 उत्तरी की 1.44 हेक्टर व खसरा न० 505/1 उत्तरी की 0.38 हेक्टर कुल 2 किता की 1.82 हेक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थीगण के

खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने का रास्ता पूर्वजो के समय से कोटा रोड से पूर्वी तरफ खसरा न० 505/1 व 504/1 की उत्तरी तरफ करीबन 15–20 फुट चौडी मेड थी, जिस से होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से आते जाते व रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने व अपने कृषि यन्त्र बैलगाडी ट्रेक्टर ट्रोली, हार्वेस्टर आदि लाने ले जाने के काम में आती रही है, उक्त मेड पर स्थित प्रार्थीगण के पीढियो पुराने रास्ते को अप्रार्थी द्वारा फाडकर अपने खेत मे मिला लिया है, और प्रार्थीगण के उक्त आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया है, प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है, प्रार्थीगण उक्त रास्ते का अपने पूर्वजो के समय उपयोग उपभोग करते चले आने से प्रार्थीगण को उक्त रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण आज से एक माह पूर्व अपने खेत पर हंकाई जुताई कर फसल बोने हेतु ट्रेक्टर लेकर गये, तो प्रार्थीगण की जानकारी मे आया, कि अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को फाडकर अपने खेत में मिला लिया, तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को खुलासा करने का निवेदन करने पर भी नही माने, और रास्ता छोडने से मना कर दिया है, जबकि प्रार्थीगण कोटा रोड से खसरा न0 505/1 व 504/1 की उत्तरी मेड पर करीबन 12 फुट चौडाई मे प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता प्राप्त करने हेतु बिगडने वाली अप्रार्थी की आराजी को देने व माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार बनने वाली प्रतिकर राशि भी अदा करने के लिए तैयार है, जिसके बावजूद भी रास्ता नही छोडने से प्रार्थीगण के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने व अपने साधन व कृषि यन्त्र आदि लाने ले जाने का कोटा रोड से खसरा न0505/1 व 504/1 की उत्तरी मेड पर होकर ही एक मात्र रास्ता है, उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, यदि उक्त रास्ता पूर्ववत खुलासा नही करवाया गया, तो प्रार्थीगण की आराजी रास्ते के अभाव मे पडत रह जावेगी। जिससे प्रार्थीगण को काफी अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी, साथ ही अप्रार्थी को रास्ते मे जाने वाली आराजी के बदले आराजी व अन्य प्रतिकर राशि प्रार्थीगण देने के लिए तत्पर है, जिससे अप्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति या नुकसान होने का प्रश्न नही उठता है। उक्त आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के रास्ते कोटा रोड से खसरा न0 505/1 व 504/1 की उत्तरी मेड पर होकर प्रार्थीगण के खेत तक 12 फुट चौडाई मे दिलाये जाने की कृपा करे, तथा उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड मे अंकन किया जावे। उक्त रास्ते की एवज मे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण प्रतिकर राशि/आराजी अप्रार्थी को दिये जाने के आदेश पारित फरमावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 505/1 व 504/1 की भूमि में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैर अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी व मौके की वास्तविक स्थिती पर मुलायजा फरमाये बिना एक तरफा रूप से निर्णय पारित किया है, जो कि पूर्णतया विधि विरूद्व है, तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के सर्वथा प्रतिकूल होने से उक्त योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे स्पष्ट रूपसे यह अंकन नही किया है, कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट को 1000 वर्गमीटर भूमि किस दिशा मे दी जावेगी, जिससे उक्त आदेश शून्य व प्रभावहीन है, साथ ही रेस्पोडेंट को उत्तरी मेड पर रास्ते के लिए दी गई भूमि पर प्रार्थी का निर्माण हो रहा है, जिससे प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान होगा। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कम दूरी व सुलभ रास्ता मानकर उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, जबकि उक्त निर्णय पारित किये जाने समय प्रार्थी अपीलान्ट के हित व अहित के बिन्दू पर भी गौर फरमाना चाहिए था। साथ सुखाधिकार के तहत लाये गये प्रार्थना पत्र पर श्रवणाधिकार नही होते हुए भी निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट के पास कम दूरी एवं सुलभ रास्ता वर्तमान में मौजूद है, जिसे अनदेखा करते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2025 के आधार पर रास्ते का आदेश दिया है, वह मौका रिपोर्ट अपीलांट को सूचित किये बिना अपीलांट की अुपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है, ऐसी मौका रिपोर्ट के आधार पर 251 (क) के अन्तर्गत आदेश नहीं दिया जा सकता, तथा निर्णय अवैध व शून्य है । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट की आपत्ति लिए बिना ही प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2025 के आधार पर रास्ता कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को मोका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के आदेश दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता

अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2022(1) आर.आर.टी. पेज 558, अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही मि0न0 11/2022 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा राज० बउनवान सुनिता वगैरा बनाम मोहनलाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर टी एक्ट को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में मोका रिपोर्ट तलब की गई। प्रश्नगत रास्ते का मोका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 5504/1 तथा 505/1 में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। कानूनन रास्ते के उपयोग में आई भूमि के एवज में प्रतिफल राशि के स्थान पर भूमि की एवज में भूमि दिए जाने का भी प्रावधान है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ताा रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2025(1) जे.एस. पेज 1, 2022(1) आर.आर.टी. पेज 196, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 103 प्रस्तुत किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.01.2025 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 551 व 552 की वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 504/1 उत्तरी तथा खसरा नम्बर 505/1 उत्तरी में

कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जिसकी पालना में तहसीलदार सांगोद द्वारा अपने पत्र कमांक 879 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा। उक्त मोका रिपोर्ट पर दिनांक 29.05.2024 अंकित है तथा मोका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर अंकित है। अतः विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 को सक्षम अधिकारी के द्वारा तैयार की गई है। मोका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 में अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 501/1 व 504/1 की उत्तरी मेंढ पर कायम किया जाना प्रस्तावित है। मोका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 पर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं होने का अंकन है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.01.2025 में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु जो रास्ता कायम किया गया है वह रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता होना जाहिर होता है। अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही न्यायालय हाजा में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही विद्यमान होना प्रकट होता हो। केवल मौखिक कथनों के आधार पर वैकल्पिक रास्ता होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थीगण के खाते की भूमि को अपीलांट के खाते दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया गया है परन्तु उक्त भूमि किस दिशा की ओर से दी गई है, इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.01.2025 में नहीं किया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 की पालना किया जाना संभव नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट ने विवादित रास्ते एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि के राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी की प्रतियां पेश की है, जिनके अवलोकन से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमियां एकदूसरे के लगवां स्थित होना प्रकट होता है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 की पालना में प्रश्नगत रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है तथा रास्ते की भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम भी हो चुकी है। साथ ही रास्ते के उपयोग में आई भूमि के एवज में रेस्पोडेन्टगण के खाते की जो भूमि अपीलांट के खाते की भूमि में सम्मिलित हो चुकी है तथा राजस्व नक्शे में तरमीम हो चुकी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 की पालना किया जाना संभव नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि रास्ते के उपयोग में आई भूमि की एवज में नियमानुसार प्रतिफल अदा किए जाने का प्रावधान है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिफल निर्धारित नहीं करते हुए भूमि के बदले भूमि दिए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 29.01.2025 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि रास्ते के उपयोग में आई भूमि की एवज मे प्रतिफल अदा किए

जाने के बजाए भूमि की एवज में समान कीमत की भूमि दिए जाने का प्रावधान है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2025(1) जे.एस. पेज 1 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार 1955 के राजस्थान अधिनियम संख्या 3 की धारा 251–क का संशोधन किया जाकर मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा–1 में आई विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधरित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर" प्रतिस्थापित की जायेगी। अतः हमारे मत में रास्ते के उपयोग में आई भूमि की एवज में समान कीमत की भूमि दी जा सकती है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से रास्ते के उपयोग में आई अपीलांट की भूमि की एवज में रेस्पोडेन्टगण की खाते की भूमि जो कि अपीलांट के खाते की भूमि के पूर्वी मेढ़ के लगवां है, अपीलांट के खाते दर्ज की गई है, चूंकि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की भूमियां एक–दूसर के लगवां है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के उपयोग में आई भूमि की एवज में अपीलांट को उसकी भूमि के लगवां भूमि दी गई है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.01.2025 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 11/2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2025 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा